IN THE COURT OF A.C.J.M.-I,
Civil Court, Rosera, (Samastipur), Bihar.
Rosera P.S. Case No. 78 of 2020, C.I.S No. 202/2020
State of Bihar Vs. Mahesh Ram & Others.

Date of Order	*Order with initials of the Magistrate*	*Remarks.*
08-01-2024	वाद संज्ञान के बिंदु पर सुनवाई हेतु प्रस्तुत किया गया। वाद पुकार पर विद्वान सहायक अभियोजन पदाधिकारी न्यायालय में उपस्थित हुए। संज्ञान के बिन्दु पर विद्वान सहायक अभियोजन पदाधिकारी को सुना। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि यह कांड अभियुक्त 1. महेश राम एवं 09 अन्य अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा– 147, 323, 448, 354A, 379, 504 एवं 506 भा0द0वि0 के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज किया गया है। अनुसंधानकर्ता द्वारा अनुसंधानोपरान्त सभी नामित प्राथमिकी अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा– 147, 323, 448, 354A, 504 एवं 506 भा0द0वि0 के अंतर्गत आरोप पत्र समर्पित किया गया। प्राथमिकी, आरोप पत्र एवं कांड दैनिकी का अवलोकन किया। अवलोकन से विदित होता है कि आरोप पत्र के कॉलम सं0–11 के सभी नामांकित अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोप पत्रित धाराओं में संज्ञान लेने हेतु पर्याप्त साक्ष्य अभिलेख पर उपलब्ध है एवं प्रथम दृष्टया मामला परिलक्षित होता है। **फलस्वरूप, आरोप पत्र के कॉलम सं0–11 के नामांकित अभियुक्त 1. महेश राम, 2. शंकर राम, 3. गणेश राम, 4. भिखारी राम, 5. रामेवरराम, 6. आनंद राम, 7. संगीता देवी, 8. प्रमिला देवी, 9. वीणा देवी एवं 10. बबीता देवी के विरूद्ध आरोप पत्रित धारा– 147, 323, 448, 354A, 504 एवं 506 भा0द0वि0 के अंतर्गत अपराध का संज्ञान लिया जाता है।** कार्यालय लिपिक अभियुक्तगण की उपस्थिति हेतु सम्मन निर्गत करें। वाद दिनांक–12.03.2024 वास्ते उपस्थिति अभियुक्तगण की। **लेखापित** **अ0मु0न्याय0दण्डा0–प्रथम,** **रोसड़ा।**	